

कर राजस्व

कर राजस्व			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़)
		मुख्य शीर्ष	2019-2020	2020-2021	2020-2021	बजट 2021-2022
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	462842.68	589326.92	385961.53	473365.39
1.02.	अधिभार	0020	19054.14	65480.77	42884.62	52596.15
1.03.	शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	20888.00	26192.31	17153.85	21038.46
1.04.	शास्तियां	0020	139.17
1.05.	व्याज वसूलियां	0020	1955.43
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	50399.38
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	1201.71
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	395.04
जोड़-निगम कर			556875.55	681000.00	446000.00	547000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	453408.71	540865.38	386826.92	474663.47
2.02.	अधिभार	0021	5236.92	60096.16	42980.77	52740.38
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	18243.10	24038.46	17192.31	21096.15
2.04.	शास्तियां	0021	424.63
2.05.	व्याज वसूलियां	0021	2704.60
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	4.37
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	325.81
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	12374.23	13000.00	12000.00	12500.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	1.26
2.11.	व्याज कर	0024	2.09
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-135.27
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	13.18
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	45.95
2.13.03.	अन्य प्राप्ति	0028	0.01
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			59.14
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	4.12
जोड़-आय पर कर			492653.71	638000.00	459000.00	561000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.70
3.02.	धन पर कर	0032	18.11
जोड़-संपदा कर			19.81
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	90597.75	124000.00	88884.00	97950.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	0.19	...	1140.00	...
4.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	545.00	930.00	820.00	850.00
4.01.04.	शिक्षा उपकर	0037	51.91
4.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	13.62
4.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	8251.12	10200.00	13500.00	14800.00
4.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	660.00	800.00
4.01.08.	आरओडीटीईपी लेजर में नामे के माध्यम से	0037	13000.00
जोड़-आयात शुल्क			99459.59	135130.00	105004.00	127400.00
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	-976.64	220.00	-804.00	100.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	5759.14	1600.00	3200.00	3500.00

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022	
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	1245.46	1050.00	4600.00	5000.00
4.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	65.66
4.06.	जन्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	827.15
4.07.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	1065.47
4.08.	सुरक्षा शुल्क	0037	1732.72
4.09.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037	101.58
4.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	2.41
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>109282.54</i>	<i>138000.00</i>	<i>112000.00</i>	<i>136000.00</i>
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
5.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	61779.31	82390.00	47750.00	47500.00
5.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	14827.30
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	40668.72
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	1935.00	2000.00	5000.00	5250.00
5.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	38186.75	40500.00	74350.00	74350.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	0.10
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	16.58
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	8.08
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	14062.48	16500.00	9900.00	9900.00
5.07.04.	बीडी पर उपकर	0038	0.02
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	3.50
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	1.08
5.07.07.	अन्य	0038	0.02
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	24.56
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	0.94
5.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर सीमा शुल्क	0038	67371.33	125610.00	224000.00	198000.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>81488.59</i>	<i>142110.00</i>	<i>233900.00</i>	<i>207900.00</i>
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	रबड़	0038	0.02
5.08.02.	जूट	0038	2.18
5.08.03.	चाय	0038	0.11
5.08.04.	तेल और तिलहन	0038	14.78
5.08.05.	कपास	0038	-0.01
5.08.06.	तंबाकू	0038	0.03
5.08.07.	कागज	0038	0.07
<i>जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>17.18</i>
5.09.	उत्पाद कर के सहवर्ती शुल्क	0038	-28.85
5.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	1088.75
5.11.	जनन विद्युत पर उत्पाद शुल्क	0038	0.95
5.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	4.61
5.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.50
5.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-775.42
5.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.46
5.16.	अन्य शुल्क	0038	89.17
5.17.	जन्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.63

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022	
5.18.	विविध प्राप्तियां	0038	169.60
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			239452.43	267000.00	361000.00	335000.00
6. सेवा कर						
6.01.	संग्रहण	0044	5929.40	1020.00	1400.00	1000.00
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	12.99
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	6.27
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	46.63
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	36.00
6.06.	अन्य प्राप्तियां	0044	-2.18
जोड़-सेवा कर			6029.11	1020.00	1400.00	1000.00
7. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
7.01.	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीटीएसटी)	0005	494070.60	580000.00	431000.00	530000.00
7.02.	समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	0008	9125.21
7.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	95553.09	110500.00	84100.00	100000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			598748.90	690500.00	515100.00	630000.00
8. जिंसों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
8.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
8.02.	अन्य कर	0045	1162.09
जोड़-जिंसों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			1162.09
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
9.01.	भू राजस्व	0710	17.27	43.21	32.18	36.41
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	298.78	315.67	321.49	381.54
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1135.53	1420.03	1291.06	1555.03
9.04.	बिक्री कर	0710	1077.90	1589.95	1138.45	1342.79
9.05.	वाहनों पर कर	0710	231.48	327.27	248.27	333.09
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	12.93	21.25	6.25	25.25
9.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	26.30	55.00	22.63	58.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	0.02	727.62	0.01	0.03
9.09.	संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	3034.98	3000.00	2719.49	3327.13
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			5835.19	7500.00	5779.83	7059.27
10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-545.00	-930.00	-820.00	-850.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-1935.00	-2000.00	-5000.00	-5250.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-2480.00	-2930.00	-5820.00	-6100.00
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-650677.05	-784180.87	-549988.35	-665562.74
12.	घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	29.16	...
जोड़-कर राजस्व			1356902.28	1635909.13	1344500.64	1545396.53
कुल जोड़			1356902.28	1635909.13	1344500.64	1545396.53

1. **निगम कर** : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2020-2021 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 6,81,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 4,46,000.00 करोड़ रुपए है। 2021-2022 का बजट अनुमान 5,47,000.00 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2020-2021 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 6,38,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले 4,59,000.00 करोड़ रुपए है। 2021-2022 के लिए बजट अनुमान 5,61,000.00 करोड़ रुपए है।

"वित्त वर्ष 2018-19 से आयकर (अधिभार सहित) के @4% पर 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' लगाया जाता है।

- 3. सम्पत्ति कर :** सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर लगाया जाता है। 2019-20 के लिए सम्पत्ति कर का वास्तविक संग्रहण रु. 19.81 करोड़ था। यह कर 2016-17 से दिया गया है।
- 4. सीमा शुल्क :** 2020-2021 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. 1,12,000.00 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 1,38,000.00 करोड़ रुपए हैं। 2021-2022 के लिए बजट अनुमान 1,36,000.00 करोड़ रुपए है।
- 4.01.01. बुनियादी शुल्क :** सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।
- 4.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीडीडी) :** सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।
- 4.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2001 के जरिए राष्ट्रीय कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के जरिए कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।
- 4.01.07. स्वास्थ्य उपकर :** यह कतिपय मेडिकल उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में अधिशोषित उपकर है।
- 4.01.08. आरओडीटीईपी लेजर में नामे के माध्यम से :** नियंत्रित उत्पादों पर शुल्क एवं कर माफी योजना (आरओडीटीईपी) का उद्देश्य निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण वितरण की प्रक्रिया में केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर उपगत करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति करना है। प्रतिपूर्त धनराशि निर्यातक के लेखर खाते में सीमाशुल्क ईडीआई में जमा (क्रेडिट) कर दी जाएगी। इस क्रेडिट का लेजर से नामे करते कार्यान्वित वस्तुओं पर बुनियादी सीमाशुल्क की क्षतिपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- 4.02. निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।
- 5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2020-2021 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,61,000.00 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 2,67,000 करोड़ रुपए है। 2021-2022 के लिए ब.अ. 3,35,000.00 करोड़ रुपए है।
- 5.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। यह शुल्क 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (सिवाय पेट्रोलियम उत्पादों के जो जीएसटी के बाहर हैं) के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है।
- 5.02. मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिंट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। यह सड़क के अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- 5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क:** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, वित्त विधेयक, 2001 के तहत कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाता है। अन्य मर्दों पर यह शुल्क 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। :
- 5.05. मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
- 5.07.10. मोटर स्पिंट और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर) :** यह शुल्क सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा लगाया जाता है। मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
- 6. सेवा कर :** सेवा कर की लेवी 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत 2020-21 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) 1,400 करोड़ रुपये है जबकि बजट अनुमान 1,020 करोड़ रुपए है। 2021-22 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) के लिए बजट अनुमान 1,000 करोड़ रुपये है।
- 7. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया है। जीएसटी मानव उपभोग के अल्कोहलयुक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 4,31,000 करोड़ रुपए जबकि ब.अ. 5,80,000 करोड़ रुपए है। 2021-22 के लिए सीजीएसटी का बजट अनुमान 5,30,000 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संबंध में सं.अ. 2020-21 और ब.अ. 2021-22 क्रमशः 84,100 करोड़ रुपये और 1,00,000 करोड़ रुपये है।